

कार्यालय टिप्पणी एवं आदेश

पन्नांक

INFORMATION AND LIBRARY NETWORK CENTRE

An IUC of University Grants Commission Infocity, Gandhinagar – 382007

Amendments to the MoU signed for Shodhganga/Shodhgangotri by the Universities

A Memorandum of Understanding (MoU) was made and entered into on_08_(Day)_01__ (Month)_2025_(Year) between the INFLIBNET Centre, an IUC of University Grants Commission located at Gandhinagar, hereinafter referred to as "INFLIBNET" and_M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly (University / Deemed University / Inter-University Centre / Others), here in after referred to as the 'University'.

This Memorandum of Understanding (MoU) & the amendments define the rights, responsibilities, liabilities and commitments of the Institutions involved in ensuring proper system implementation, to meet the objectives pertaining to submission and access to Shodhganga (Electronic Theses and Dissertations) as envisaged by the UGC and other bodies vide:

- Regulation 19 of UGC (Minimum Standards & Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. Degree)
 Regulations, 2009 dated 1st June, 2009.
- Regulation 13.1 of UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.PHIL./Ph.D. Degrees) Regulations, 2016, dated 5th May 2016
- Regulation 17 of University Grants Commission (Minimum Standards and Procedures for Award of Ph.D. Degree) Regulations 2022 dated 7th November 2022 and
- The circular issued by AICTE vide circular No. AICTE/P& AP/Misc/2022/ Dated: 23.12.2022 & UGC vide D.O.No.2-10/2021 (CPP-II) dated December 22, 2021
- Amendments suggested by the Shodhganga National Steering Committee [SNSC] in its meeting held on 21st August 2024, at the INFLIBNET Centre.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements herein contained, INFLIBNET and the University agree to the following Amendments:

I. INFLIBNET Centre

A1 i. Embargo Request: The INFLIBNET Centre shall review the embargo request and apply it to the hosted content, if it is found appropriate i.e., if cited with valid reasons like Book/Article Publications, filing of Patent application and such others, for a specified period, and requested through the Competent authority i.e. Vice-Chancellor/Registrar or Equivalent A1 ii. Creative Commons License: Legal issues and Digital Rights Management (DRM) of the content hosted on the Shodhganga repository shall be governed by a Non-Exclusive License under the 'Creative Commons License i.e. CC BY-NC.

loan

(Prof. Alok Srivastava)
Director
Directorate of Research
MJP Rohilkhand University, Bareilly (U.P.)

Checked and Verified

d

f

ır

a

la

di

is

9



कार्यालय टिप्पणी एवं आदेश

पत्रांक

CC BY-NC: "This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for NonCommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/) includes the following elements:

BY means credit must be given to the creator.

NC means Only noncommercial uses of the work are permitted".

II. The University:

A2 i. The University agrees to obtain from the Research Scholar an undertaking wherein he/she agrees to grant to the University & INFLIBNET the non-exclusive license to host the Theses on the Shodhganga platform under the CC BY-NC license and to preserve as part of the backup. Such undertaking may be obtained in accordance with the existing UGC guidelines and the University Regulations.

A2 ii. Embargo policy:

(a) The University may have its embargo policy, if required, for reasons such as Book or Article publications, filing of Patent applications and such others for a specified period and request for application of embargo shall be made to the INFLIBNET through the competent authority of the University.

(b) The University shall inform INFLIBNET of any existing embargo policy implemented through its Research Bodies.

A2 iii. Plagiarism: The University agrees to upload one-page Plagiarism/Summary Report on Shodhganga with comprehensive detailed analysis report kept in backup/archive by Universities and able to be retrieved on request of the Ministry/UGC/INFLIBNET/Legal Cells

III. The clauses mentioned in the previous MoU under INFLIBNET Centre (I) shall remain intact except for the following clarificatory changes:

Clause No-1 is to be read as:

1. Access to Hosting Server & Digital Preservation: The INFLIBNET Centre shall provide access to ETD hosting server(s) at the INFLIBNET Centre 'Shodhganga'/'Shodhgangotri' to the University with accompanied software interface, enabling University and its Coordinator to create metadata as mentioned in Clause No. 2 and upload the theses in ETD repositories designed for this purpose. The INFLIBNET will deploy tools and techniques of digital preservation to ensure continuing access to scholarly content in digital formats and to protect them from media failure, physical loss and obsolescence.

Directorate of Research MJP Robitkhand University, Bareilly (U.P.)

Nc ed and Verified

ti

1

e la

rs d

si

70 N

पो

कार्यालय टिप्पणी एवं आदेश

पत्रांक

Clause No-2 is to be read as:

2. Digitization of the Theses shall be the responsibility of the University. The University shall ensure to get the digital copy of theses from the research scholar along with the details of the research scholar with researcher ID (e.g. ORCID), metadata in Dublin Core(DC), proper keywords and subject headings in standard formats.

Clause No-6 and 10 are merged and to be read as:

6. Plagiarism Detection: The INFLIBNET Centre may recommend or provide access to plagiarism software which the University may use to detect the plagiarism before awarding the degree. One-page plaglarism/summary report will be submitted by the University as mentioned in Amendment A2 iii.

Clause No-7 and 8 are merged and to be read as:

7. Content Refusal Rights: The INFLIBNET Centre may refuse to host or remove from the repository any work [theses & dissertations], if in the opinion of INFLIBNET, the work is obscene, scandalous, defamatory, infringing the personal or proprietary rights of others, or is controversial in nature. Such right of refusal shall be independent of the liability of the University/Ph.D Scholar for any actionable wrong or copyright infringement.

Clause No-11 is to be read as:

- 11. Reproduction and auxiliary storage: The INFLIBNET Centre reserves the right to reproduce the content of theses and dissertations on different servers and other auxiliary storage media. The universities should keep a backup of their theses and dissertations.
- IV. The clauses mentioned in the previous MoU under The University (II) shall remain intact except for the following clarificatory change:

Clause No-6 is to be read as:

6. University Coordinator: The Coordinator shall be responsible for maintaining the quality, standards and uniqueness of all uploaded Theses/dissertations. The University Shall designate at least one person from the university (who is competent enough to manage ETD) as University Coordinator for training on the implementation of ETDs organised by the INFLIBNET Centre and for implementing the same.

IN WITNESS WHERE OFF, the parties hereto executed this MoU on this date above mentioned.

UNIVERSITY:

Vice Chancellor /Registrar or designated authority

(Name, Signature and Seal)

Prof Alok Srlvastava

Director, Directorate of Research

(Prof. Alok Srivastava)

Directorate of Research MJP Rohllkhand University, Bareilly (U.P.) **INFLIBNET:**

Prof Devika P Madalli

Director

INFLIBNET Centre

An IUC of University Grants Commission

Infocity Gandhinagar - 382 007

Checked and



कार्यालय टिप्पणी एवं आदेश

पत्रांक

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र इन्फोसिटी, गांधीनगर – 382007

विश्वविद्यालयों द्वारा शोधगंगा/शोधगंगोत्री के लिए हस्ताक्षरित सहमति जापन में संशोधन

यह सहमति ज्ञापन (एमओयू) इनिष्लबनेट केंद्र (गांधीनगर स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र) जिसे इसमे इसके बाद "इनिष्लबनेट" और महात्मा ज्योतिबा फुले स्हेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (विश्वविद्यालय/ मानद विश्वविद्यालय / अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र / अन्य) जिसे इसमे इसके बाद "विश्वविद्यालय" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसके मध्य 08(दिन)01 (माह) 2025 (वर्ष) को सहमतिनिर्मित और निष्पादित किया गया।

यह सहमित जापन (एमओयू) और संशोधन यूजीसी और अन्य निकार्यो द्वारा परिकल्पित शोधगंगा (इलेक्ट्रॉनिक शोध निवंध और प्रवंध) को प्रस्तुत करने और उन तक पहुंच से संवंधित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित प्रणाली कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में शामिल संस्थानों के अधिकारों, जिम्मेदारियों, देनदारियों और प्रतिबद्धताओं को परिभाषित करते हैं:

- यूजीसी (एम.फिल./पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 का विनियमन 19. दिनांक 1 जून, 2009
- यूजीसी (एम.फिल./पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 का विनियमन 13.1 दिनांक 5 मई 2016
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2022 का विनियमन 17. दिनांक 7 नवंबर 2022 और
- एआईसीटीई द्वारा जारी परिपत्र संख्या एआईसीटीई/पी एंड एपी/विविध/2022 दिनांक: 23.12.2022 और यूजीसी द्वारा जारी परिपत्र डी.ओ. संख्या 2-10-2021 (सीपीपी-॥) दिनांक 22 दिसंबर, 20211
- 21 अगस्त 2024 को इनिपलबनेट केंद्र में आयोजित अपनी बैठक में शोधगंगा राष्ट्रीय संचालन समिति [एस.एन.एस.सी.] द्वारा स्झाए गए संशोधन।

अब, इसलिए, इसमें निहित आपसी समझौतों के मद्देनजर, इनफ्लिबनेट और विश्वविद्यालय निम्नलिखित संशोधनों पर सहमत हैं:

1. इनिफ्लबनेट केंद्र

A1 i. प्रतिबंध अनुरोधः इनिपलबनेट केंद्र प्रतिबंध अनुरोध की समीक्षा करेगा और इसे होस्ट की गई सामग्री पर लागू करेगा, यदि यह उचित पाया जाता है, अर्थात, यदि पुस्तक/लेख प्रकाशन, पेटेंट आवेदन दाखिल करने और इस तरह के अन्य वैध कारणों से उधृत किया जाता है, तो निर्दिष्ट अविध के लिए, और सक्षम प्राधिकारी यानी कुलपित/कुलसचिव या समकक्ष के माध्यम से अनुरोध किया जाता है।

A1 ii. क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस / रचनात्मक सामान्य परवानाः शोधगंगा रिपोजिटरी पर होस्ट की गई सामग्री के कानूनी मुद्दे और डिजिटल अधिकार प्रबंधन (डी. आर.एम) को 'क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस यानी CC BY-NC' के तहत एक गैर-अनन्य लाइसेंस दवारा नियंत्रित किया जाएगा।

Sicial

(Prof. Alok Srivastava)

Directorate of Research
MJP Rohilkhand University, Bareilly (U.P.)

Checked and Verified



कार्यालय टिप्पणी एवं आदेश

पत्रांक

"यह लाइसेंस पुनः उपयोगकर्ताओं को किसी भी माध्यम या प्रारूप में सामग्री को वितरित करने, रीमिक्स करने, अनुकूलित करने और उस पर निर्माण करने में सक्षम बनाता है, केवल गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए, और केवल तब तक जब तक निर्माता को श्रेय दिया जाता है। CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-

nc/4.0/) में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

BY अर्थात निर्माता को श्रेय दिया जाना चाहिए।

NC अर्थात कार्य के केवल गैर-वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति हैं"।

॥. विश्वविद्यालयः

A2 I. विश्वविद्यालय शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त करने के लिए सहमत है, जिसमें वह शोधगंगा मंच पर शोध प्रबंध को CC BY-NC लाइसेंस के तहत होस्ट करने और बैकअप के हिस्से के रूप में संरक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय और इनिफ्लबनेट को गैर-अनन्य लाइसेंस देने के लिए सहमत है। इस तरह की वचनबद्धता मौजूदा यूजीसी दिशानिर्देशों और विश्वविद्यालय विनियमों के अनुसार प्राप्त की जा सकती है।

A2 II. प्रतिबंध नीतिः

(a) यदि आवश्यक हो, तो विश्वविद्यालय अपनी प्रतिबंध नीति बना सकता है, जैसे कि पुस्तक या लेख प्रकाशन, पेटेंट आवेदन दाखिल करना और इस तरह के अन्य कारणों के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए और प्रतिबंध के आवेदन के लिए अनुरोध विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से इनिष्लबनेट को किया जाएगा।

(b) विश्वविद्यालय अपने शोध निकायों के माध्यम से लागू की गई किसी भी मौजूदा प्रतिबंध नीति के बारे में इनिपलबनेट को सुचित करेगा।

A2 III. साहित्यिक चोरीः विश्वविद्यालय शोधगंगा पर एक पृष्ठ की साहित्यिक चोरी/सारांश रिपोर्ट अपलोड करने के लिए सहमत है, जिसमें व्यापक विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट होगी, जिसे विश्वविद्यालयों द्वारा बैकअप/संग्रह में रखा जाएगा और मंत्रालय/यूजीसी/इनफ्लिबनेट/कानूनी प्रकोष्ठों आदि के अनुरोध पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा।

इनिफ्लबनेट केंद्र (1) के अंतर्गत पिछले सहमति जापन में उल्लिखित खंड निम्निलिखित स्पष्टीकरणात्मक परिवर्तनों को छोडकर बरकरार रहेंगे:

खंड संख्या-1 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

1. होस्टिंग सर्वर और डिजिटल संरक्षण तक पहुँचः इनिफलबनेट केंद्र विश्वविद्यालय को इनिफलबनेट केंद्र 'शोधगंगा'/'शोधगंगोत्री' में ई.टी.डी. होस्टिंग सर्वर तक पहुँच प्रदान करेगा, साथ ही सॉफ्टवेयर इंटरफ़ेस भी प्रदान करेगा, जिससे विश्वविद्यालय और उसके समन्वयक खंड संख्या 2 में उल्लिखित मेटाडेटा बना सकेंगे और इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए ई.टी.डी. रिपॉजिटरी में थीसिस अपलोड कर सकेंगे। इनिफलबनेट डिजिटल संरक्षण संबंधी उपकरण व तकनीक का संस्थापक करेगा ताकि डिजिटल फॉर्मेंट में विद्वतापूर्ण सामग्री की अनवरत सुगमता में सुनिश्चित हो सके तथा माध्यम की विफलता के साथ-साथ भौतिक हानि व अप्रचलन से भी इनकी संरक्षा करेगा।

खंड संख्या-२ को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

2. शोध निबंध का डिजिटलीकरण विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय को शोधार्थी से शोध निबंध की डिजिटल प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा, साथ ही शोधार्थी का विवरण शोधकर्ता आईडी

Joan

Chr cked and Verified



कार्यालय टिप्पणी एवं आदेश

पत्रांक

(जैसे ORCID), डबलिन कोर (DC) में मेटाडेटा, उचित कीवर्ड और मानक प्रारूप में विषय शीर्षक भी प्राप्त करना होगा। खंड संख्या-6 और 10 को मिलाकर साथमें इस प्रकार पढ़ा जाएगाः

6. साहित्यिक चोरी का पता लगानाः इनिपलबनेट केंद्र साहित्यिक चोरी सॉफ़्टवेयर की अन्शंसा कर सकता है या उस तक पहुँच प्रदान कर सकता है जिसका उपयोग विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करने से पहले साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए कर सकता है। संशोधन A2 iii में उल्लिखित अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा एक- पृष्ठ साहित्यिक चोरी/सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

खंड संख्या-7 और 8 को मिलाकर साथमें इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

7. सामग्री अस्वीकार करने का अधिकारः अगर इनफ्लिबनेट की राय में, कार्य अश्लील, निंदनीय, मानहानिकारक, दूसरों के व्यक्तिगत या मालिकाना अधिकारों का उल्लंघन करने वाला या प्रकृति में विवादास्पद है, तो इनफ्लिबनेट केंद्र किसी भी कार्य [शोध निबंध और शोध प्रबंधा को होस्ट करने या रिपॉजिटरी से हटाने से इनकार कर सकता है। इनकार करने का ऐसा अधिकार किसी भी कार्रवाई योग्य गलत या कॉपीराइट उल्लंघन के लिए विश्वविद्यालय/पीएचडी स्कॉलर की देयता से स्वतंत्र होगा।

खंड संख्या-11 को इस प्रकार पढ़ा जाएगाः

11. पुनरुत्पादन और सहायक भंडारणः इनफ्लिबनेट केंद्र विभिन्न सर्वरों और अन्य सहायक भंडारण मीडिया पर शोध निबंध और शोध प्रबंधों की सामग्री को पुनरुत्पादित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विश्वविद्यालयों को अपने शोध निबंध और शोध प्रबंधों का वैकअप रखना चाहिए।

IV. विश्वविद्यालय (II) के तहत पिछले सहमति जापन में उल्लिखित खंड निम्नलिखित स्पष्टीकरण परिवर्तन को छोइकर बरकरार रहेंगे:

खंड संख्या-6 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

6. विश्वविद्यालय समन्वयकः समन्वयक सभी अपलोड किए गए शोध निबंध / शोध प्रबंधों की गुणवत्ता, मानकों और विशिष्टता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। विश्वविद्यालय इनफ्लिबनेट केंद्र द्वारा आयोजित ई.टी.डी. के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण और उसके कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय समन्वयक के रूप में विश्वविद्यालय से कम से कम एक व्यक्ति (जो ई.टी.डी. का प्रबंधन करने में सक्षम है) को नामित करेगा।

साक्ष्य के तौर पर, पक्षों ने उपरोक्त उल्लिखित तिथि पर इस सहमति ज्ञापन को निष्पादित किया।

विश्वविदयालयः

कुलपति/कुलसचिव या नामित् प्राधिकारी

प्रो0 आलोक श्रीवास्तव निदेशक-शोध निदेशालय

(नाम, हस्ताक्षर और मुहर) (Prof. Alok Srivastava)

Directorate of Research MJP Roblikhand University, Bareilly (U.E.) इनफ्लिबनेटः

प्रो. देविका पी. माडल्ली

इनिफलबनेट केंद्र

निदेशक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अंतर विश्वविद्यालय केंद्र,

इन्फोसिटी गांधीनगर - 382 007

Checked and Verified